

तक ऐसी सहखातेदारी भूमि के प्रत्येक भाग पर कब्जा माना जाता हैं। लिहाजा यह बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

**3. अपूर्णनीय क्षति :-** चूंकि उपर्युक्त दोनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित हुये है साथ ही भू-अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थीगण द्वारा बिना कानूनन बंटवाड़ा करवाये अविभाजित भूमि में मकान निर्माण कार्य शुरू कर दिया तथा यह भी सम्भावना रहती है कि ऐसा आगे भी किया जा सकता है तथा यदि ऐसा होता है तो वादग्रस्त आराजी की मौका स्थिति तथा प्रकरण के सम्यक् न्याय निर्णयन में जटिलता एवं विलम्ब होना स्वाभाविक है। जिसकी अपूर्णनीय क्षति प्रार्थीगण को ही होना स्वाभाविक है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि चूंकि वादग्रस्त आराजी अविभाजित सहखातेदारी भूमि है, जिसमें सहखातेदारान् के मध्य मौके की स्थिति को लेकर विवाद उत्पन्न होने के साथ साथ प्रकरण में अनावश्यक जटिलता उत्पन्न होना स्वाभाविक है। प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णनीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है, अतः वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में अप्रार्थीगण संख्या 01 से 04 को ताफैसला वाद तक वादग्रस्त आराजी का बैचान, हस्तान्तरण एवं वर्तमान मौका स्थिति में परिवर्तन नहीं करने हेतु जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से निरुद्ध किया जाना विधि संगत एवं आवश्यक है।

#### **--: आदेश :-**

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 01 से 04 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वह ताफैसला वाद सरहद मौजा- रास-1, पटवार हल्का -रास-1, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र- रास, तहसील- जैतारण में स्थित खसरा नम्बर 864 रकबा 27-08 बीघा किस्म बारानी अब्बल की आराजी का बैचान, हस्तान्तरण एवं वर्तमान मौका स्थिति में परिवर्तन नहीं करें। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी जैतारण  
जैतारण (जिला-ब्यावर)

निर्णय आज दिनांक 10/12/2024 को सर-ए-इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी जैतारण  
जैतारण (जिला-ब्यावर)